राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2022–23/ जयपुर, दिनांकः–22.12.2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः– ''विकसित भारत संकल्प यात्रा'' के सफल क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भः– वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी संख्या 332301297 दिनांक 22.12.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, योजनाओं संबंधी जागरूकता एवं योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में ''विकसित भारत संकल्प यात्रा'' प्रारम्भ की गई है।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, योजनाओं संबंधी जागरूकता एवं योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में ''विकसित भारत संकल्प यात्रा'' प्रारम्भ की गई है, जो कि राजस्थान के समस्त जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं 10 हजार से अधिक की आबादी के शहरी स्थानीय निकायों में पहुंचने का लक्ष्य पूरा करने हेतु 26 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि ''विकसित भारत संकल्प यात्रा'' यात्रा के प्रमुख उदेश्यों यथा पहुंच से छूटे तक पहुंचना, प्रसार और जागरूकता, नागरिकों से सीखना, संभावित लाभाथियों का नामांकन एवं यात्रा की प्रमुख विषेषताओं यथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में मॉबलाईजेशन, जागरूकता की समुदायिक स्वीकार्यता, सास्कृतिक प्रदर्षन आदि कार्यक्रम आयोजित करना, सूचना तकनीकी एवं मोबाइल का उपयोग, विभिन्न योजनाओं में पात्र लाभार्थियों/आमजन को लाभ देने हेतु विशेष केम्पों के आयोजन आदि कार्यो के सफल क्रियान्वयन हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 165(07) परावि /एसएफसी /षष्ठम / दिशा निर्देश / 2021–22 /100 दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के बिन्दु संख्या–(अ) के उप बिन्दु 3,(xviii) के अनुसार ''पंचायती राज संस्थाओं में शिवरों/अभियानों के लिए ग्राम पंचायत पर राशि रू. 1.00 लाख, पंचायत समिति पर राशि रू. 2.00 लाख और जिला परिषद पर राशि रू. 3.00 लाख की सीमा तक प्रतिवर्ष व्यय की जा सकेगी'', अनुमत है।

अतः ''विकसित भारत संकल्प यात्रा'' के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रति जिला परिषद राशि रू 0.50 लाख तथा प्रति ग्राम पंचायत राशि रू. 0.20 लाख का व्यय संबंधित जिला परिषद/ग्राम पंचायत में राज्य वित्त आयोग षष्ठम की उपलब्ध अवशेष राशि से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त
जयपुर, दिनांकः–

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2022–23/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. अधीक्षण अभियन्ता प्रोजेक्ट, परावि।

RajKaj Ref 5229343
Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.12.22 18:15:39 IST
Reason: Approved